फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हीरालाल पिता जीतमल कुम्हार निवासी हिंगोरिया, तहसील कपासन

बनाम

रोशनलाल पिता जीतमल कुम्हार निवासी हिंगोरिया, तहसील कपासन वगैरा

प्रकरण संख्या 19/2018 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 25.11.2021 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। पेशी दिनांक 16.09.2022 को उभय पक्ष को अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होगा तथा पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके बावजूद भी आज कोई उपस्थित नहीं। अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	